

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में की गयी व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-198739/XXX(2)/E-33080 दिनांक 14.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-229265/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 31.07.2024 के आलोक में परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर विचार कर संस्तुति देने हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2024 को सम्पन्न हुई।

2. उक्त समिति द्वारा परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'वरिष्ठ सहायक' संवर्ग में तैनात कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये सेवा विवरणों/तथ्यों का संज्ञान लिया गया। वरिष्ठ सहायक संवर्ग में कुल कार्यरत 75 कार्मिकों में से सुगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 21 कार्मिक एवं दुर्गम क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत 14 कार्मिक, इस प्रकार कुल 35 कार्मिक अनुमोदित मानकानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं, किन्तु चूंकि सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अधिकतम 03 कार्मिकों एवं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में 02 कार्मिक का ही स्थानान्तरण अनुमन्य है।

3. स्थानान्तरण हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी समस्त विवरण यथाप्रक्रिया सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गई थी और उराके सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों का निरतारण करते हुए सेवा विवरणों को दिनांक 05.07.2024 को अंतिम करते हुए उन्हें सर्व संज्ञानार्थ विभागीय वेबसाईट पर पुनः प्रकाशित किया गया। इस प्रकार, अंतिम किये गये सेवा विवरणों का ही संज्ञान स्थानान्तरण समिति द्वारा लिया गया।

4. सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों में से पात्रता क्रमांक 03, 04 एवं 09 पर अंकित कार्मिक विकलांग श्रेणी, पात्रता क्रमांक 02 एवं 08 पर अंकित कार्मिक अधिनियम की धारा 17(2)(घ) में विहित व्यवस्थानुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारी, क्रमांक 01, 05, 07, 08, 12 एवं 13 पर अंकित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7(घ)(तीन) में विहित व्यवस्थानुसार गम्भीर रोग की श्रेणी में होने तथा क्रमांक 10 पर अंकित कार्मिक एकल अग्निभावक होने के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वरिष्ठ सहायक संवर्ग में सुगम से दुर्गम क्षेत्र में 03 कार्मिक, स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1)(7) में विहित व्यवस्थानुसार अनुरोध के आधार पर 08 कार्मिक एवं दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची के क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 पर अंकित कार्मिक अधिनियम की धारा 17(2)(घ) में विहित व्यवस्थानुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारी एवं दुर्गम में ही रहने के इच्छुक होने के आधार पर उन्हें स्थानान्तरण से छूट प्रदान करते हुये दुर्गम से सुगम क्षेत्र में 02 कार्मिक, इस प्रकार कुल 11 कार्मिकों का स्थानान्तरण किये जाने की संस्तुति की गई।

5. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा दी गई संस्तुति के आधार पर परिवहन विभाग के अंतर्गत 'वरिष्ठ सहायक' संवर्ग में तैनात निम्नवत् कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित पद/कार्यालय के सापेक्ष किया जाता है:-

(क) सुगम से दुर्गम :

क्र० सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नीतिश मैठाणी	11	07 वर्ष 06 माह 08 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम एवं द्वितीय विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण तृतीय विकल्प आवंटित।
2	बरखा	14	07 वर्ष 06 माह 07 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प में पद रिक्त न होने के कारण द्वितीय विकल्प आवंटित।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
3	गिरीजा शंकर पाण्डे	15	07 वर्ष 08 माह 06 दिन	साम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प आवंटित।

(ख) अनुरोध के आधार पर :

क्र०सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	जनवीर सिंह रावत	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1) में विहित व्यवस्थानुसार इनकी माताजी के हृदय रोग (हार्ट सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी) से ग्रसित होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, देहरादून द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर सुगम कार्यालय ऋषिकेश में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।
2	चन्दन सिंह मेहरा	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1) में विहित व्यवस्थानुसार इनकी पत्नी के मानसिक रोग से ग्रसित होने सम्बन्धी मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर सुगम कार्यालय रामनगर में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।
3	रविन्द्र कुमार आर्य	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, रानीखेत	साम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (1) में विहित व्यवस्थानुसार इनके पिताजी हृदय रोग से ग्रसित होने सम्बन्धी मण्डलीय चिकित्सा परिषद, नैनीताल द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर सुगम कार्यालय हल्द्वानी में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।
4	राजकुमार साहनी	साम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रपुर	इनके द्वारा अपने पिताजी के दृष्टिबाधित होने के कारण किये गये अनुरोध के क्रम में सुगम कार्यालय रुद्रपुर में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।
5	अरुण कुमार सैनी	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुड़की	इनके द्वारा अपने पिताजी के हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण किये गये अनुरोध के क्रम में सुगम कार्यालय रुड़की में रिक्त पद के सापेक्ष स्थानान्तरण की संस्तुति।
6	अतुल नौटियाल	साम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	उपसाम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	इनके द्वारा एकल अभिभावक होने के दृष्टिगत सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। स्थानान्तरण अधिनियम में विहित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्मिक को सुगम कार्यालय ऋषिकेश में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।

(ग) दुर्गम से सुगम :

क्र० सं०	कार्मिक का नाम शर्वाश्री	पात्रता सूची में क्रमांक	नियत तिथि को दुर्गम क्षेत्र में कुल सेवा	वर्तमान तैनाती स्थल/कार्यालय	स्थानान्तरण/नवीन तैनाती का स्थल/कार्यालय	संस्तुति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	राहुल बिष्ट	5	07 वर्ष 10 माह 29 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, काशीपुर	सुगम क्षेत्र में रिक्त पद के सापेक्ष आवंटित।
2	कपिल उनियाल	6	07 वर्ष 08 माह 04 दिन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	प्रस्तुत विकल्पों में से प्रथम विकल्प आवंटित।

6. उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने नवीन तैनाती के स्थल/कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।
7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(वृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।

संख्या: 1231 (1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सम्वन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्वन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सम्वन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सम्वन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
7. सम्वन्धित कार्मिक (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

(वृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त।